साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-31 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 11 सितंबर 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

लिव- इन रिलेशन वाली लड़की को भरण पोषण, पढ़िए महत्वपूर्ण जजमेंट

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

लिव इन रिलेशन, एक ऐसी नई परंपरा जिसमें लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं या नहीं। यदि हां तो शादी कर लेते हैं यदि नहीं तो अगला लिव इन रिलेशन। कई बार तीसरी स्थिति बनती है। लड़का शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बना लेता है और फिर धोखा दे देता है।

कई लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती लेकिन भोपाल समाचार डॉट कॉम की नियमित पाठक महिलाओं एवं लड़कियों को पता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 498-क के अंतर्गत अपने बॉयफ्रेंड की क्रूरता के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है और दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा भी कर सकती है। इस जानकारी को और पुख्ता करने के लिए पढ़िए कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट–

1. डी. बेलुसामी बनाम डी पतचाइअम्मल (2010)–

उक्त मामले में न्यायालय अभिनिर्धारित किया गया कि एक महिला जो विवाह जैसे रिश्ते में हैं लेकिन कानूनी रूप से विवाहित नहीं है वह भरण पोषण का दावा कर सकती है।

आगे न्यायालय ने कहा कि सभी लिव इन रिलेशनशिप विवाह के संबंधों की प्रकृति के अनुरूप नहीं होंगे,विवाह की प्रकृति सम्बधों को पूरा करने के लिए निम्न शर्तें होना चाहिए–

* वह निश्चित समय के लिए साथ रहे हो।
* उनकी शादी की उम्र पूरी हो गई हो।
* दोनो पति-पत्नी के रूप में समाज में रहे हो या सहमति द्वारा शारिरिक संबंध स्थापित भी किये हो।
* उन्होंने विधिक विवाह की शर्तो को पूरा कर लिया हो।

2. चनमुनिया बनाम विरेंद्र कुमार कुशवाह और अन्य–

मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विचारण प्रश्न था कि क्या एक पुरूष ओर महिला काफी समय से एक साथ रह रहे हैं जबकि उनका विवाह नहीं हुआ है तब क्या ऐसी महिला भरण पोषण का दावा कर सकती हैं? न्यायालय ने यह मत दिया कि पुरूष और महिला के साथ-साथ रहने की स्थिति में सन् 2005 के अधिनियम पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत उन्हें मौद्रिक अनुतोष और प्रतिकर दिया जा सकता है और वह दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 125 के अंतर्गत की कार्यवाही में भी भरण पोषण ले सकती है और यह उनका सांविधिक अधिकार है।

कुल मिलाकर यदि लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़की से उसका लिव इन पार्टनर लड़का शादी का वादा करता है, कुछ अन्य लोगों के सामने लड़की को अपनी पत्नी बताता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है अथवा एक न्यूनतम अवधि से अधिक समय तक दोनों साथ रहते हैं और समाज के लोग उन्हें पति-पत्नी मानते हैं तब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है।

पत्नी को भरण पोषण देने के बाद क्या पति दूसरी शादी कर सकता है - The Hindu Marriage Act,1955

हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 का अध्याय-3 की धारा 18 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण के अधिकार को एक विधिक अधिकार मानती है। अगर किसी महिला को दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत भरण पोषण मिलता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। सवाल यह है कि किसी महिला को पति द्वारा भरण पोषण दिया जा रहा है तब क्या इस आदेश के बाद पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है जानते हैं इसका जबाब।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14(2) (द्वद्वद्व) जो संशोधन अधिनियम, 1976 का तलाक का चौदह आधार है–

अगर कोई पत्नी भरण पोषण अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण के लिए आदेश प्राप्त कर लेती है और इस आदेश के बाद पत्नी अपने पति से अलग रहती है। ऐसे आदेश या डिक्री के पारित होने के एक साल के भीतर यदि दोनों पक्षों में पुनरारंभ सहवास नहीं होता है तो यह तलाक का एक आधार होगा। पत्नी को कब तक भरण पोषण देना होगा अर्थात न्यायालय भरण पोषण का आदेश इसलिए भी देता है कि पति पत्नी कुछ समय अलग-अलग रहने के बाद एक-दूसरे की जिम्मेदारी समझ सके। लेकिन पति भरण पोषण के आदेश का लाभ उठकर पत्नी को तलाक देता है उसके बाद भी उसे पत्नी को उसे तब तक भरण पोषण देना होगा जब तक पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर लेती।

उत्सव के रूप में मनाया जाये स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान और सेवा से संकल्प अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

● 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में चलाए जाएंगे दो अभियान ● स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान से प्रदेश के 50 लाख लोगों को मिलेगा लाभ ● सेवा से संकल्प अभियान के तहत 17 सितम्बर को शाम 7 बजे से पूरे प्रदेश में जलाये जायेंगे 58 लाख दीपक ● मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में बैठक कर दोनों अभियान के सुचारू संचालन के दिये निर्देश

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण अभियानों का शुभारंभ किया जायेगा। प्रदेश में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा से संकल्प अभियान के रूप में जनसेवा को नये संकल्प के साथ पूरा करने के लिए यह अभियान संचालित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन अभियान से प्रदेश के 50 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को उनकी सम्पत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री कर राजस्व विभाग के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे। वहीं, सेवा से संकल्प अभियान के तहत पहले दिन 17 सितम्बर को शाम 7 बजे पूरे प्रदेश में एक साथ 58 लाख आशीर्वाद के दीपक जलाएं जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह आमजन को सुविधा सम्पन्न बनाने और जनसेवा का बड़ा अभियान है। सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में पूरी तैयारी के साथ दोनों ही अभियान को उत्सव के रूप में आयोजित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधिगण, समाज और आमजन को इनसे जोड़ा जाए। जन-जन तक अभियान की जानकारी पहुंचायें, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। अधिकाधिक युवाओं को अभियान से जोड़ने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉ यादव गुरुवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स से कहा कि वे इन दोनों अभियान के लिए अगले दो दिन में माइक्रो प्लानिंग पूर्ण कर लें। जिले में स्वामित्व अभियान का नेतृत्व कलेक्टर स्वयं करें। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं।

बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई रमेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स ने वीसी के जरिए सहभागिता की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि स्वामित्व अधिकार निष्पादन अभिलेख, पंजीयन अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर लक्षित भूमि स्वामियों के अधिकार अभिलेखों का राज्य सरकार निःशुल्क पंजीयन (रजिस्ट्री) कराने के अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। इस अभियान में प्रदेश भर के 41 हजार 568 गांवों के 68 लाख 47 हजार प्लॉट का सर्वे किया जा चुका है और 50 लाख से अधिक हितग्राहियों के नाम पर निःशुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी। रजिस्ट्री के लिए पंचायत उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी छूट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी के दौरान पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चुने गए जिले - आगर-मालवा, बड़वानी, हरदा, अशोक नगर और रायसेन के कलेक्टरों से स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। कलेक्टरों ने बताया कि स्वामित्व योजना से संबंधित मोबाइल ऐप यूजर फ्रेंडली है। पटवारियों की ट्रेनिंग भी तेजी करवाई जा रही है। भू-अभिलेखों की निःशुल्क रजिस्ट्री से गाँवों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है।

नकली न्यूज़पेपर कटिंग बनाना व फैलाना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गंभीर अपराध

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

आजकल सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है की कंप्यूटर संसाधन व मोबाइल एप का उपयोग करके नकली न्यूजपेपर कटिंग बनाना और उसे फैलाना आम बात हो गई है। लेकिन लोग इससे अंजान हैं की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ढ्ढञ्ज-ए्ह और भारतीय न्याय संहिता क्चहृस् के तहत एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रम फैलाने या किसी को धोखा देने के लिए ऐसी फर्जी इमेज बनाना गैर-कानूनी है।इसके तहत कई गंभीर धाराएँ लग सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ढ्ढञ्ज-ए्ह, 2000धारा 66ष्ठ कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी यदि आप किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के नाम या लोगो का गलत इस्तेमाल करके या स्वयं गलत जानकारी के आधार पर नकली कटिंग बनाते हैं, तो यह प्रतिरूपण किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करने के अंतर्गत आता है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।धारा 66ष्ठ पहचान की चोरी यदि किसी समाचार पत्र के आधिकारिक लोगो या नाम का अनधिकृत उपयोग करने पर यह धारा लग सकती है।भारतीय न्याय संहिता,

2023 क्चहृस् पहले ढ्ढक्कष्ट था 1 जुलाई 2024 से ढ्ढक्कष्ट की जगह क्चहृस् लागू हो चुका है।धारा 336 और 340 जालसाजी नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के आरोप में यह धारा लगती है। इसके तहत 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है।धारा 318 धोखाधड़ी अगर उस नकली कटिंग का उद्देश्य किसी को आर्थिक नुकसान पहुँचाना या धोखा देना है।धारा 353 अफवाह या झूठी खबर फैलाना यदि उस नकली न्यूजपेपर कटिंग से समाज में शांति भंग होने, दंगा भड़कने या सार्वजनिक व्यवधान पैदा होने का खतरा हो, तो इस धारा के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है।धारा 356 मानहानि यदि उस नकली खबर से किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की छवि खराब होती है, तो मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। एक बात और यदि किसी काल्पनिक नाम का उपयोग करके नकली अखबार की कटिंग बनाना और उसे प्रसारित करना भी भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। भले ही आपने किसी जीवित व्यक्ति का नाम न लेकर किसी काल्पनिक नाम का उपयोग किया हो, लेकिन यदि उस कटिंग का उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना, किसी को डराना धोखाधड़ी और जालसाजी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता क्चहृस्, 2023 की धारा 336 अथवा पुरानी ढ्ढक्कष्ट की धारा 464/465 किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फर्जी तरीके से तैयार करना अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाना अगर उस अखबार की कटिंग में ऐसी कोई खबर लिखी है जिससे समाज में डर, अंधविश्वास, या अशांति फैल सकती है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है।क्चहृस् की धारा 353 अथवा पुरानी ढ्ढक्कष्ट की धारा 505 सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली या समाज में डर पैदा करने वाली झूठी अफवाहें या भ्रामक खबरें फैलाना अपराध है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। साइबर अपराध यदि इस नकली अखबार की कटिंग को कंप्यूटर,मोबाइल या फोटोशॉप जैसे या अन्य डिजिटल टूल्स से बनाया गया है और इसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप,फेसबुक, आदि पर शेयर किया गया है तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ढ्ढञ्ज-ए्ह 2000 की धाराओं के तहत डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी या भ्रामक सामग्री फैलाने पर कार्रवाई की जा सकती है। मानहानि यदि उस कटिंग में काल्पनिक के नाम के बहाने अप्रत्यक्ष रूप से किसी असली व्यक्ति, परिवार, या संस्था पर निशाना साधा गया है या उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है-क्चहृस् की धारा 356 (पुरानी ढ्ढक्कष्ट की धारा 499/500 मानहानि के मामले में 2 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। निष्कर्ष अगर आप इसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एक मजाक के रूप में भी कर रहे हैं, तब भी बिना अनुमति किसी अखबार के नाम का इस्तेमाल करना और भ्रामक जानकारी सार्वजनिक करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। संक्षेप में डिजिटल माध्यम से फर्जी खबरें बनाना और उन्हें फॉरवर्ड करना आपको बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। इसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसलिए ऐसा करने से पूरी तरह बचना चाहिए।

पत्नी से विवाद और ससुराल पक्ष पर मारपीट के आरोप, युवक ने खाया सल्फास हो गई मौत

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। वार्ड नंबर 1, सिलवानी रोड उदयपुरा निवासी हल्के अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पत्नी से लंबे समय से चल रहे विवाद और ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया।

परिजनों के अनुसार हल्के अहिरवार पिछले तीन-चार वर्षों से उदयपुरा में रहकर मजदूरी का कार्य करते थे। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहे थे। मामले को लेकर सामाजिक स्तर पर कई बार बैठकें भी हुई, जिनमें दोनों को आपसी सामंजस्य बनाकर रहने की समझाइश दी गई, लेकिन विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका।

परिजनों का आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन हल्के को उसके ससुराल बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। घटना के दौरान हल्के ने अपने बड़े भाई सत्तू अहिरवार को फोन कर मदद मांगी। इसके बाद भाई अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसे बचाने ससुराल पहुंचे, जहां उनके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। परिजनों ने इस संबंध में देवरी और

उदयपुरा पुलिस थाने में लिखित शिकायत देने की बात कही है। बताया गया कि घटना के बाद हल्के की तबीयत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बरेली रेफर किया। उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिजनों के अनुसार बच्चों ने भी पुलिस के समक्ष अपने पिता के साथ मारपीट किए जाने की बात बताई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पीओपी के स्थान पर मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए चलाया जाए जागरूकता अभियान

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल जिले में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वर्ण कदम उठाते हुए पीओपी के स्थान पर माटी की मूर्ति बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में एडीएम सुमित पांडेय की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न। बैठक में सभी संबंधित विभागों द्वारा प्राकृतिक एवं बाढ़ आपदा के लिए किए गए कार्यों एवं तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री पांडेय ने निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरसिया में पानी में डूबने से मौत की घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने एवं संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने बैठक में भोपाल जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्ति विसर्जन एवं घाटों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं अस्थायी निर्माण कार्य, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं गोताखोरों की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। बैठक में डिस्ट्रिक कमांडेंड,

एसडीआरएफ, जिला कमांडेंड होमगार्ड को निर्देशित किया कि जिले के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में प्रति माह अलग अलग विषय आधारित मॉकड्रिल का आयोजन करें। उन्होंने मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा उत्पन्न न हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग अपनी-अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के संभावित बाढ़ प्रभावित या भोपाल जिले के केरवा, कोलार, भदभदा, कलिया सोत एवं अन्य जल भराव वाले क्षेत्र में दुर्घटनाओं के दृष्टिगत नागरिकों को प्रतिबंधित करने एवं जागरूक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी गहरी पानी वाले स्त्रोतों के आसपास साइन बोर्ड लगाए जाए। संवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन एवं सुरक्षा के इंतेजाम की तैयारियां सुनिश्चित करें। पुलिस एवं होमगार्ड विभाग द्वारा जिले में उपलब्ध मोटर्स बोर्ड, बाढ़ राहत सामग्रियां एवं पुलिस अमले का प्रशिक्षण, तैराकों की सूची एवं डिस्ट्रिक कंट्रोल कमांड सेंटर से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

अंजान व्यक्ति को हॉटस्पॉट देना पड़ सकता है भारी कुछ मिनटों की मदद डिजिटल सुरक्षा के लिए न बन जाए बड़ा खतरा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन, भोपाल, मध्यप्रदेश

आज मोबाइल इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। ऐसे में कई बार कोई अनजान व्यक्ति इंटरनेट की जरूरत बताकर मोबाइल हॉटस्पॉट मांग लेता है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सावधानी के हॉटस्पॉट साझा करना डिजिटल सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हॉटस्पॉट का पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति को देने पर वह आपके मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इससे आपका डेटा तेजी से खत्म हो सकता है और नेटवर्क की गलत या संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी रहती है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जरूरत पड़ने पर भी हॉटस्पॉट को मजबूत पासवर्ड के साथ सीमित समय के लिए ही साझा करें। काम पूरा होते ही हॉटस्पॉट बंद कर दें और समय-समय पर उसका पासवर्ड बदलते रहें। सबसे जरूरी बात यह है कि अनजान व्यक्ति को अपना मोबाइल अनलॉक करके न दें और OTP, बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड, निजी फोटो या अन्य संवेदनशील

जानकारी किसी के साथ साझा न करें। भारत सरकार के साइबर सुरक्षा पोर्टल भी अनजान लोगों के साथ निजी जानकारी साझा करने से बचने और विश्वसनीय नेटवर्क पर ही संवेदनशील कार्य करने की सलाह देते हैं। सावधानी बरतें हॉटस्पॉट का पासवर्ड मजबूत रखें। जरूरत खत्म होते ही हॉटस्पॉट बंद करें। अनजान व्यक्ति को मोबाइल हाथ में न दें। OTP, UPI PIN और बैंकिंग पासवर्ड कभी साझा न करें। संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत कनेक्शन हटाएं। साइबर ठगी होने पर 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत करें। डिजिटल दुनिया में छोटी-सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हॉटस्पॉट देना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसे, कितनी देर और किस तरीके से इंटरनेट साझा किया जा रहा है, इस पर सावधानी जरूरी है। तकनीक सुविधा के लिए है, इसलिए सुविधा के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही समझदारी है। संदेश ये है कि मदद करें, लेकिन डिजिटल सुरक्षा से समझौता न करें।

भारतीय वायु सेना की सारंग हेलिकॉप्टर टीम मिस्र में होने वाले अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो में दिखायेंगी जलवा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

भारतीय वायु सेना की सारंग हेलिकॉप्टर प्रदर्शन टीम, अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच गई है। भारतीय वायु सेना की सारंग टीम विश्व की एकमात्र पांच हेलिकॉप्टरों वाली प्रदर्शन टीम है। यह टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, व्यावसायिकता और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। यह भारतीय वायु सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा और राजनयिक संबंधों को दर्शाती है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव को उड़ाते हुए, सारंग टीम अपने चुनौतीपूर्ण फॉर्मेशन युद्धाभ्यास, निकटवर्ती उड़ान और समन्वित एयरशो के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदर्शन न केवल पायलटों के असाधारण कौशल और अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमताओं को भी उजागर करता है। सारंग टीम अपना प्रसिद्ध ''डॉल्फिन लीप'' करतब प्रदर्शित

करेगी और साथ ही स्पॉट स्टॉल टर्न नामक एक नया करतब भी प्रस्तुत करेगी। टीम की भागीदारी से दुनिया भर के दर्शकों और विमानन प्रेमियों को एएलएच ध्रुव की बहुमुखी प्रतिभा और दक्षता के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के साहसी जज्बे को देखने का अवसर मिलेगा। अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो में दुनिया भर की प्रमुख वायु सेनाओं के साथ-साथ एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों के पेशेवर भी एक साथ आते हैं। मिस्र के आकाश में सारंग का प्रदर्शन इस आयोजन में एक विशिष्ट आयाम जोड़ेगा, साथ ही दुनिया भर की अन्य अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगा।

'माटी गणेश-सिद्ध गणेश' अभियान ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

ग्राम पंचायत बदरा में विकासखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित, प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने का दिया प्रशिक्षण

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपु)

जमुना कोतमा अनूपपुर। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, अनूपपुर के नेतृत्व एवं जिला समन्वयक श्री उमेश कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार, 9 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत बदरा में विकासखंड स्तरीय 'माटी गणेशङ्कसिद्ध गणेश' अभियान के अंतर्गत मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, नवांकुर संस्थाओं, सीएमसीएलडीपी विद्यार्थियों एवं प्रस्फुटन समिति सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।नए स्थान तलाशें

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के उपयोग के प्रति जागरूक करना तथा गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

प्राकृतिक मिट्टी से प्रतिमा निर्माण का दिया प्रशिक्षण

कार्यशाला में प्रशिक्षक एवं परामर्शदाता श्रीमती शिवानी सिंह ने प्रतिभागियों को प्राकृतिक मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से समझाई। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने हाथों से मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को गणेश उत्सव में अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने

प्रतिभागियों ने भी प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए स्वयं मिट्टी से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया। कार्यशाला के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्राकृतिक मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं।

विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

कार्यशाला में नवांकुर संस्था राम किशोर सिंह जन उत्थान समिति, नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान, कोशिश सेवा समिति एवं कोशिश फाउंडेशन समिति के प्रतिनिधियों सहित सीएमसीएलडीपी के विद्यार्थियों एवं प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए संकल्प लिया। कार्यशाला में उपस्थित लोगों ने प्राकृतिक मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा को स्थापित करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया।

जनप्रतिनिधियों ने किया मिट्टी की प्रतिमा अपनाने का आह्वान

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बदरा के सरपंच श्री शिवभान सिंह, आजीविका परियोजना के ब्लॉक सहायक प्रबंधक श्री रामपाल पांडे, नवांकुर प्रतिनिधि श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री जितेंद्र रजक ने अपने विचार व्यक्त किए।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। गणेश उत्सव जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर हम अपनी परंपराओं को भी जीवंत रख सकते हैं और प्रकृति की रक्षा में भी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं को अपनाने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण में बनी प्रतिमा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेंट

कार्यशाला के समापन के उपरांत प्रशिक्षण में विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों द्वारा निर्मित गणेश प्रतिमा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रवि ग्वाल को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। विद्यार्थियों ने उन्हें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। इस अवसर पर मिट्टी से निर्मित प्रतिमा को देखकर उपस्थित लोगों ने प्रतिभागियों के प्रयास की सराहना की।

कार्यक्रम का सफल संचालन नवांकुर संस्था सचिव श्री नागेंद्र सिंह द्वारा किया गया। वहीं समापन सत्र में परामर्शदाता शारदा चौरसिया ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

कार्यशाला ने धार्मिक आस्था, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ते हुए समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश दिया। आयोजकों ने आगामी गणेश उत्सव में अधिक से अधिक लोगों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने तथा पर्यावरण हितैषी तरीके से उत्सव मनाने की अपील की।

लगभग 25 लाख का स्टॉप डैम, फिर भी बूंदभर पानी नहीं!

पैरीबहरा पंचायत के माझगडयी में निर्माण पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, इंजीनियर-सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

कैलाश कुमार अहिरवार- सह संपादक (युवा प्रदेश)

शहडोल बुढार।। जनपद पंचायत बुढार अंतर्गत ग्राम पंचायत पैरीबहरा के माझगडयी में करीब 25 लाख रुपये की लागत से बनाए गए स्टॉप डैम के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्टॉप डैम का निर्माण ऐसी जगह करा दिया गया, जहां इसका उद्देश्य ही पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में भारी बारिश होने पर आसपास के कई हिस्सों में पानी भर जाता है, लेकिन 25 लाख रुपये की लागत से बनाए गए स्टॉप डैम में आज भी पानी नजर नहीं आ रहा है। इससे निर्माण स्थल के चयन और तकनीकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में जिम्मेदार इंजीनियर और पंचायत सचिव की भूमिका संदिग्ध है तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग की आशंका है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। निर्माण स्थल की जांच से सामने आ सकता है सच

ग्रामीणों ने मांग की है कि स्टॉप डैम के निर्माण स्थल, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, भुगतान और निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए। यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब क्षेत्र में भारी बारिश के बावजूद स्टॉप डैम में पानी रुक नहीं रहा, तो आखिर 25 लाख रुपये की लागत से बनाया गया यह निर्माण किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है?

अब देखना यह है कि ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद पंचायत और जिला प्रशासन जांच कराकर मामले की हकीकत सामने लाता है या फिर लाखों रुपये की लागत से हुए इस निर्माण पर सवाल यूं ही अनुत्तरित रह जाते हैं।

सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, विधायक मद से मिला टैंकर तालाब में डुबोया, लाखों की संपत्ति कबाड़

कैलाश कुमार अहिरवार- सह संपादक (युवा प्रदेश)

बुढ़ार / शहडोल। ग्राम पंचायतों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन बुढ़ार जनपद अंतर्गत ग्राम कमता के बसोरहान टोला में जिम्मेदारों की लापरवाही ने शासन की मंशा पर ही पानी फेर दिया है।

क्या है मामला

ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक मद से ग्राम पंचायत कमता को एक पानी का टैंकर सौंपा गया था। यह टैंकर गांव में पानी सप्लाई के लिए था, लेकिन महीनों से इसका उपयोग करने के बजाय इसे तालाब में ही छोड़ दिया गया।

तालाब के सीढ़ी निर्माण के बाद ठेकेदार और पंचायत कर्मियों द्वारा टैंकर को तालाब से बाहर निकालने की जहमत तक नहीं उठाई गई। पानी में पड़े-पड़े टैंकर में जंग लग गई है और अच्छी-खासी सरकारी संपत्ति आज कबाड़ में तब्दील हो चुकी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव की अनदेखी के चलते यह स्थिति बनी है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी टैंकर को तालाब से बाहर नहीं निकाला गया।

बड़े सवाल

जब टैंकर ग्रामीणों को पानी पिलाने के लिए था, तो उसे तालाब में क्यों डुबोया गया? लाखों की सरकारी संपत्ति को कबाड़ बनाने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?

क्या जनपद पंचायत बुढ़ार इस पूरे मामले की जांच कराएगा?

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनपद पंचायत सीईओ से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और टैंकर को सुधार कर फिर से ग्रामीणों की सेवा में लगाया जाए।

संत रविदास जयंती प्रतियोगिता में विधि महाविद्यालय चित्रकला में जिला स्तर पर प्रथम स्थान

शासकीय अग्रणी गृह विज्ञान महाविद्यालय, नर्मदापुरम में संत रविदास जी के आदर्शों, सामाजिक सुधार, समानता, समरसता एवं मानवतावादी विचारों पर आधारित आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता की चित्रकला विधा में प्रथमेश दीक्षित ने प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज ने प्रथमेश को शुभकामनाएं देते हुए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा कहा कि यह उपलब्धि छात्र की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता परिणाम है।÷ विभागाध्यक्ष शिवाकांत मौर्या, डॉ. अभिषेक सिंह एवं राजदीप सिंह भदौरिया ने भी विद्यार्थी को बधाई दी। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि ÷प्रथमेश ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

हनुमान अंश' फिल्म आस्था, संस्कृति और भक्ति की शक्ति का देती है संदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार की शाम कोलार स्थित एक निजी प्लाजा में बहुचर्चित फीचर फिल्म 'हनुमान अंश' के प्रदर्शन में सहभागिता करते हुए फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसकी विषय-वस्तु, प्रस्तुति और कलाकारों के अभिनय की सराहना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीब करौली बाबा के जीवन चरित्र पर केंद्रित 'हनुमान अंश' फिल्म हमारी आस्था, आध्यात्मिक परंपरा और भगवान हनुमान की भक्ति के मार्ग को समझने का एक माध्यम है। भक्ति से समाज सुधार की शक्ति पाने की पटकथा वाली इस फिल्म ने हम सबके आराध्य भगवान हनुमान की आराधना और सेवा की भावना को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि नीब करौली बाबा के जीवन पर केंद्रित इस फिल्म से हमें एकात्म मानववाद और सर्वहारा वर्ग के कल्याण की प्रेरणा देती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फिल्म में नीब करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले कलाकार श्री शोभिनव सत्या के अभिनय की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शोभिनव सत्या ने नीब करौली बाबा के चरित्र का सिर्फ़ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि उसे खुद जीकर जीवंत कर दिया है। उनके अभिनय में बाबा के व्यक्तित्व की सहजता, भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं की गहरी अनुभूति दिखाई देती है। उन्होंने सचमुच कमाल ही कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं में संतों का जीवन समाज को सदैव प्रेरणा देता रहा है।

करंट की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत, पशुपालक ने थाने में की शिकायत, कार्यवाही की मांग

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 02 बराती क्षेत्र में बिजली के करंट की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पशुपालक रामू नायक, पिता धेना नायक, निवासी वार्ड क्रमांक 04 बराती, अमरकंटक ने अमरकंटक थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पशुपालक ने अपनी 12 भैंसों को चरने के लिए छोड़ा था। शाम 10 भैंसें वापस घर आ गईं, जबकि दो भैंसें घर नहीं लौटीं। जब उनकी तलाश की गई तो बराती नाला के समीप बिजली के खंभे के पास तार में करंट आने से दोनों भैंसें मृत अवस्था में मिलीं। पशुपालक के अनुसार, मृत भैंसों में एक दुधारू भैंस तथा दूसरी भैंस का बच्चा शामिल है। घटना से पशुपालक को आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर मृत दोनों भैंसों का पोस्टमार्टम (पीएम) कराए जाने तथा पीएम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस थाना अमरकंटक ने उक्त प्रकरण को विवेचना में लिया है तथा पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय अमरकंटक को पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पत्र दिया है। अमरकंटक पुलिस सभी पहलुओं की ओर जांच कर रही है यह तो मूक पशु का मामला है यदि उक्त स्थल पर आमजन पहुंचने तो घटना गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र में बिजली के खुले अथवा क्षतिग्रस्त तारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पशुपालक ने संबंधित विभाग से घटना की जांच कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

एस डी एम कार्यालय के मुख्य द्वार पर कुत्तों का कब्जा

जिम्मेदारों की व्यवस्था पर उठे सवाल

संजय अग्रवाल हरदा

तहसील परिसर स्थित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सामने आई तस्वीर में कार्यालय की सीढ़ियों और बरामदे में कई कुत्ते बैठे नजर आ रहे हैं। इससे कार्यालय परिसर की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस कार्यालय में आम लोगों की समस्याओं के निराकरण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निगरानी होती है, उसी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आवारा कुत्तों का इस तरह बैठे रहना व्यवस्था की स्थिति को बयां करता नजर आ रहा है। क्या आम नागरिकों की सुरक्षा और कार्यालय की स्वच्छता के लिए कोई जिम्मेदार व्यवस्था नहीं? यह सवाल अब लोगों के बीच उठने लगा है। कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीणों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में मुख्य द्वार पर कुत्तों का जमावड़ा किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बढ़ा सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई और आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तस्वीर सामने आने के बाद अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस अव्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाते हैं।

रॉयल हाईट्स हायर सेकेंडरी स्कूल जीरापुर के 8 खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन

राजगढ़

रॉयल हाईट्स हायर सेकेंडरी स्कूल जीरापुर के 8 खिलाड़ियों का चयन संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिला स्तरीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन ब्यावरा में किया गया, जिसमें विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तर पर अपनी जगह बनाई।

विद्यालय के चयनित खिलाड़ियों में 19 वर्ष बालक वर्ग में देवराज दांगी, 17 वर्ष बालिका वर्ग में अक्षिता गुर्जर एवं प्रीति झाला, 14 वर्ष बालिका वर्ग में साँची सोनी, दीक्षा बोढ़ाना, वीरा सोनी एवं इशिका दांगी तथा 14 वर्ष बालक वर्ग में युवराज गुर्जर का चयन हुआ है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संस्था संचालक रणधीर सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और लगन से विद्यालय का नाम गौरवान्वित हुआ है। इस अवसर पर संस्था प्रबंधक यशवर्धन सिंह, प्राचार्य शैलेंद्र जोशी, वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर पुष्कर पटेल, भोला सेन, खेल शिक्षक अरविंद बंसल एवं सोनू राठौर ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

विधायक विष्णु खत्री के निवास पर श्रीराम कथा महोत्सव को लेकर बैठक

भोपाल। श्रीराम कथा महोत्सव के आयोजन को लेकर क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री के निवास पर धार्मिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कथा को व्यापक रूप से आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्वरूप में आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई तथा आवश्यक तैयारियों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल, केदार मंडलोई, आशुतोष मिश्रा, देवदत्त शर्मा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, महेश प्रताप सिंह बघेल, नीलेश सिंह सेंगर, विजय कुशवाहा, प्रवेश विजयवर्गीय एवं राम मनोहर सिंह सेंगर उपस्थित रहे।

निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं, समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराएं - कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

सिवनी।

निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं तथा अधिकारी लगातार फील्ड में पहुंचकर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण करें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने 15वें वित्त अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद पंचायत लखनादौन के संबंधित अधिकारी एवं सहायक यंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में संचालित सभी पुराने एवं लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से लेते हुए तेजी से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के भवनों एवं निर्माणाधीन कार्यों का नियमित निरीक्षण करने तथा निर्माण एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यों में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी केवल कार्यालय स्तर पर समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर पहुंचकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लें। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह सहित लोक निर्माण विभाग, भवन विकास निगम, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनजातीय कार्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मीना ने जिले में संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की विभागवार एवं कार्यवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सड़कों, पुल-पुलियाओं, शासकीय कार्यालय भवनों, स्कूल भवनों, छात्रावासों, आश्रमों, सामुदायिक भवनों सहित अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही सांसद निधि, विधायक निधि एवं खनिज मद से स्वीकृत एवं संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति, भौतिक प्रगति, पूर्णता की स्थिति तथा कार्यों में आ रही समस्याओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

संत रविदास ने दिया धर्म के साथ कर्म को महत्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रायसेन में हुई संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति स्थापित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मूर्ति स्थापना समारोह में वर्चुअली शामिल हुए

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संत शिरोमणि गुरू रविदास जी ने अपने जीवन में धर्म के साथ कर्म को भी प्रधानता दी। उनके उपदेश आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार समाज की पथ-प्रदर्शक विभूतियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे जल्दी ही रायसेन पहुंचकर संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रायसेन में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत विकास शिविर, यात्राएं गत जुलाई से आयोजित की जा रही हैं, जो आगामी फरवरी माह तक चलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवा, महिला, गरीब, किसान वर्ग के कल्याण के साथ ही सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संतों ने सदैव समाज को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है। संत रविदास जी के शब्द थे - %ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न। छोट-बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।% इसके साथ ही %प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकि अंग अंग बास सामानी% के माध्यम से भक्त और भगवान के घनिष्ठ संबंध की ओर इंगित किया है। संत रविदास का मानना था कि प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूं। जिस प्रकार पानी में चंदन मिलने से पानी के प्रत्येक अंग में चंदन की महक शामिल हो जाती है। उसी तरह आपकी भक्ति से मेरा अंग-अंग पावन और आनंदित हो गया है। यह ईश्वर की प्रति अगाध प्रेम और आत्मीयता का प्रमाण है। इसी तरह %मन चंगा तो कठौती में गंगा% की कहावत भी संत रविदास ने दी। इसका आशय यह है कि यदि व्यक्ति का मन कार्य में शुद्ध भावना से पूरी तरह लगा है तो चमड़ा भिगोने के बर्तन (कठौती) में भी गंगा प्रकट हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायसेन में समरसता यात्रा, समरसता भोज से सभी वर्गों का जुड़ना प्रशंसनीय है। इसी सामाजिक समरसता के लिए हमारे संतों ने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। प्रारंभ में पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी कि संत रविदास की प्रतिमा की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के साथ ही निकट ही डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए राज्य शासन से 25 लाख रूपए की प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। रायसेन नगर के सभी समाजों द्वारा परस्पर भाईचारे के साथ पर्व-त्यौहार मनाने का कार्य होता है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा, श्री रामपाल सिंह के अलावा संत श्री धनीराम, संत श्री मनीराम, श्री राकेश शर्मा, समाजसेवी श्री जमना सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का 11 सितंबर को करेंगे शुभारंभ

भोपाल।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 का शुभारंभ करेंगे। इस समिट में निजी बस ऑपरेटरों, नीति-निर्माताओं, परिवहन विशेषज्ञों, देशभर के राज्य परिवहन उपक्रमों, आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे और मध्यप्रदेश की यात्री परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए रणनीति और सुझाव साझा करेंगे।

समिट का प्रमुख केंद्र 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' होगी। 'नई सोच, नई राह, नया मध्यप्रदेश' विजन के साथ आयोजित इस समिट का उद्देश्य मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (स्क्ढ्ढक्ढ्ढरु) के माध्यम से जन-निजी भागीदारी (क्क्क्क) मॉडल, आधुनिक आईटी प्रणालियों और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को गति देना है। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल भी समिट में शामिल होंगे।

इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव समिट के दौरान इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्योगों के साथ प्रदेश के विभिन्न शासकीय निगमों द्वारा अपनी गतिविधियों, तकनीकी समाधानों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे परिवहन क्षेत्र में निवेश, तकनीक और नई साझेदारियों की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। समिट में ईलेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा संकलित समिट की स्मारिका का विमोचन किया जाएगा।

आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

छात्र-छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के उपायों की दी जानकारी

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं फैमिली प्लैनिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 10 सितंबर 2026 को आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय, रायसेन में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रायसेन डॉ. ए.के. शर्मा उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में नेहरू युवा केंद्र/माय भारत की डायरेक्टर डॉ. मोनिका चौधरी तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. यूनिस खान मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मिथुन यादव, किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता, उमंग हेल्थ क्लिनिक, जिला चिकित्सालय रायसेन द्वारा पीपीटी के माध्यम से आत्महत्या के कारणों, रोकथाम के उपायों एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छात्र-छात्राओं को दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसिक तनाव या किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या होने पर समय रहते परिवार, शिक्षक अथवा स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संवाद करने के लिए प्रेरित किया।

इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता के लिए टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 सहित उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सहायता केंद्र/कक्ष से संपर्क करने की सलाह भी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसरों एवं छात्र-छात्राओं को Tele-MANAS हेल्पलाइन तथा %मनहित% (स्ड्ढठ्ढद्दब्ह्ल) ऐप के बारे में जानकारी देकर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मानसिक परेशानियों को लेकर खुलकर संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा जरूरत के समय समय पर उचित सहायता उपलब्ध कराना रहा।

पढ़ेंगे बच्चे, बढ़ेगी सोच अपने शब्दों में कहेंगे कहानी

विधायक खिलचीपुर दांगी ने किया 'मेरे शब्द, मेरी कहानी' पठन अभियान का शुभारंभ

राजगढ़

● हर स्कूल में कहानी-कथन, पढ़ने के साथ सोचने-समझने की बनेगी आदत

● जिले की समस्त विकासखंडों में दौड़ेगी पठन वैन, किताबों से जुड़ेगा बचपन रचनात्मकता को मिलेगा नया पंख

बच्चों में पठन की आदत विकसित करने, उनकी कल्पनाशक्ति एवं अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा देने तथा स्वतंत्र एवं तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले में 'मेरे शब्द, मेरी कहानी' पठन अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया गया। अभियान का शुभारंभ विधायक खिलचीपुर हजारीलाल दांगी ने किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले सहित अपर कलेक?टर प्रताप सिंह चौहान, अनुविभागीय (राजस?व) अधिकारी राजगढ़ सुशील कुमार, डीपीसी, डाइट प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, सीएसी, एपीसी एवं डीपीसी कार्यालय के अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले के प्रत्येक विद्यालय में होगी कहानी-कथन गतिविधि

अभियान के अंतर्गत 8 सितंबर को जिले के प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से बच्चों को एक कहानी सुनाई एवं सिखाई जाएगी। कहानी के माध्यम से बच्चों को केवल सुनने तक सीमित न रखते हुए उस पर विचार करने, प्रश्न पूछने, समझने तथा कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बच्चों के पठन कौशल को विकसित करने के साथ-साथ उनमें स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा देना है। बच्चों को पुस्तकों एवं कहानियों से जोड़कर उनमें नियमित पठन की रुचि विकसित करना अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

जिले की समस?त विकासखंडों में भ्रमण करेगी पठन वैन

'मेरे शब्द, मेरी कहानी' अभियान को जिले के सभी विद्यालयों एवं समुदायों तक पहुंचाने के लिए पठन वैन जिले के समस?त विकासखंडों में भ्रमण करेगी। पठन वैन के माध्यम से बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने, कहानी-कथन एवं पठन गतिविधियों के आयोजन तथा विद्यालयों में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए जिले के सभी विद्यालयों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान के माध्यम से बच्चों को पढ़ने, सोचने, समझने और अपनी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

'मेरे शब्द, मेरी कहानी' का संदेश है— बच्चे पढ़ें, सोचें, समझें और अपने शब्दों में अपनी कहानी कहें।

अधिकारियों ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं

हरदा अपर कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार एवं श्रीमती अनुपमा चौहान ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रवीण इवने, एसडीएम हरदा श्री अशोक कुमार डहेरिया, एसडीएम टिमरनी श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया, डिप्टी कलेक्टर सुश्री श्वेता बम्होरे एवं श्री असवनराम चिरामन सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में कन्या छात्रावास हरदा की रसोईया सावित्रीबाई, ममता बाई, सुगनाबाई, पुष्पाबाई व अन्य ने छात्रावास में कार्य के उपरान्त कम मानदेय प्राप्त होने के संबंध में शिकायत की, जिस पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रकरण की जांच कर आवेदिकाओं की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये।

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में राजगढ़ जिले के शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

राजगढ़

मुशाई नायक सीता देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, रोसरा, समस्तीपुर (बिहार) के तत्वावधान में शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर भव्य राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. राज भूषण चौधरी, सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुण शंकर प्रसाद, मंत्री मत्स्य विभाग, बिहार सरकार एवं वीरेंद्र कुमार, विधायक रोसरा की गरिमामय उपस्थिति रही। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

ट्रस्ट द्वारा देश के 8 राज्यों - बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से आए लगभग 200 चयनित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचारी योगदान के लिए शाल, श्रीफल, सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस राष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले का गौरव बढ़ा। जिले से वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं योगाचार्य पंडित महेश कुमार त्रिवेदी (धानोदा), अरुण कुमार शर्मा एवं श्रीमती ममता शर्मा (नरसिंहगढ़), अशोक सक्सेना एवं श्रीमती संध्या सक्सेना (ब्यावरा) को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से अलंकृत किया गया। पंडित त्रिवेदी के 42 वर्षों के शैक्षणिक नवाचार एवं योग के क्षेत्र में योगदान की अतिथियों ने विशेष सराहना की। कार्यक्रम के आयोजक सत्येन्द्र नायक एवं देवेन्द्र नायक ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य उन शिक्षकों को राष्ट्रीय पहचान देना है, जिन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज निर्माण का माध्यम बनाया है। समारोह में अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है और शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता हैं। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन आयोजक मंडल द्वारा किया गया।

माचलपुर के शिक्षक श्री सोनी को मिला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026

राजगढ़

शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026 में चयनित राजगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक -2 माचलपुर प्राथमिक शिक्षक सुरेश चंद्र सोनी को भोपाल में आयोजित समारोह में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री सोनी को यह सम्मान विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी, आनंदमय एवं बाल-केंद्रित शैक्षिक वातावरण विकसित करने , कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की विद्यालय उपहार योजना की प्रेरणा से विद्यालय उपहार योजना में उल्लेखनीय जनभागीदारी प्रयास के लिए प्रदान किया गया। विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए श्री सोनी ने नगर समुदाय एवं जनसहयोग को विद्यालय से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधायुक्त शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने में सहयोग मिला। श्री सोनी का यह सम्मान न केवल उनके समर्पित एवं नवाचारी शिक्षकीय प्रयासों की पहचान है, बल्कि राजगढ़ जिले के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है।

उदयपुरा अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पत्रकार से कथित अभद्रता का मामला, पत्रकार संगठन ने जांच की मांग की

पोस्टमार्टम को लेकर सवाल पूछने पर पत्रकार से कथित अभद्र व्यवहार का आरोप

उदयपुरा, रायसेन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछने और समाचार कवरेज करने पहुंचे पत्रकार हल्केवीर सूर्यवंशी के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। मामले को लेकर क्षेत्रीय पत्रकार संगठन, उदयपुरा ने गंभीर चिंता जताते हुए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार 8 सितंबर की रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में एक मृतक के परिजन पोस्टमार्टम से संबंधित चिकित्सकीय प्रक्रिया एवं जानकारी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पत्रकार हल्केवीर सूर्यवंशी भी समाचार कवरेज के लिए मौके पर मौजूद थे।

आरोप है कि पोस्टमार्टम करने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा पत्रकार के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया तथा उन्हें समाचार कवरेज करने से रोकने का प्रयास किया गया।

मामले को लेकर क्षेत्रीय पत्रकार संगठन, उदयपुरा द्वारा कलेक्टर रायसेन के नाम तहसीलदार उदयपुरा को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई है।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मिलेगा पत्रकार संगठन

क्षेत्रीय पत्रकार संगठन, उदयपुरा अब इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश शासन के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है।

संगठन द्वारा मंत्री के समक्ष पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखते हुए पत्रकार को समाचार कवरेज से रोके जाने, कथित अभद्र व्यवहार तथा पूर्व में की गई शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।

पत्रकार संगठन का कहना है कि पत्रकार समाचार संकलन के दौरान अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। यदि किसी पत्रकार को कवरेज से रोका जाता है या उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। साथ ही अस्पताल में मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ संवेदनशील, सम्मानजनक एवं मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। ज्ञापन में प्रमुख मांगें

- 8 सितंबर की घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- पत्रकार हल्केवीर सूर्यवंशी को समाचार कवरेज से रोके जाने के आरोपों की जांच की जाए।
- पत्रकार एवं मृतक के परिजनों के साथ कथित अभद्र व्यवहार की जांच हो।
- संबंधित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जाए।
- पूर्व में की गई शिकायतों एवं संबंधित पुलिस प्रकरणों की भी जांच की जाए।
- आरोप सत्य पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
- अस्पताल में मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
- पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान आवश्यक सहयोग एवं सम्मान प्रदान किया जाए।

क्षेत्रीय पत्रकार संगठन, उदयपुरा ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान उनके दायित्व का निर्वहन करने से रोकने अथवा उनके साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामलों में निष्पक्ष जांच आवश्यक है। संगठन ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

मेरी अंतिम इच्छा, समाज में मृत्यभोज बंद होः- अतर सिंह भारतीय 'संकल्प विज्ञप्ति'

मैं अतर सिंह भारतीय (उम्र 41 वर्ष) पिता श्री फूल सिंह भारतीय निवासी - म नं 298 नवीन छावनी पठार, रायसेन रोड, भोपाल (मप्र) पूरी होशो हवास में अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता हूं कि मेरे मरने के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मृत्यु भोज / रसोई / तेरहवीं / ग्यारहवीं / छः मासी / बारह मासी / श्राद्ध / गंगभोज / पिण्ड दान / मुण्डन / गंगा स्नान आदि न किया जाए। मेरे परिवार के लोग मेरी उक्त अंतिम इच्छा अनुसार ऐसा करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।

लेकिन परिवार के लोगों से भी करबद्ध आग्रह है कि सामाजिक कुरीतियों को रोकने तथा समाज उत्थान के लिए मेरे मरणोपरांत यथाशक्ति व अनुकूल समय में यथा संभव विचार-विमर्श संगोष्ठी (सभा) का आयोजन अवश्य करें। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि समाज में मृत्यभोज जैसे प्रथा बंद हो लेकिन सामाजिक व्यवहार मजबूत हो और निरन्तर प्रगतिशील रहे। मेरे कुटुम्ब, रिश्तेदार व समाज से विनम्र अनुरोध है कि मेरे परिवार द्वारा मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार से पैतृक रीति रिवाज या परंपरा के नाम से परेशान न करें और न ही परिवार के किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से उक्त कार्य के संबंध में मेरे कुटुम्ब, रिश्तेदार आदि को धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में किसी भी तरह से प्रतिबंध न लगाएं।

संत रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना को लेकर आज निकलेगी भव्य कलश यात्रा

श्री राम परिसर से शुरू होकर कलई पूरा मंदिर पहुंचेगी यात्रा, समरसता भोज का भी होगा आयोजन

रायसेन।

संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की भव्य एवं दिव्य मूर्ति स्थापना को लेकर रायसेन में आज धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता से जुड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर नगरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन में सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी का विशेष सहयोग रहेगा। मूर्ति स्थापना से पूर्व सुबह 10 बजे सागर रोड स्थित श्री राम परिसर रायसेन से संत रविदास महाराज की भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ढोल-ताशों, बैंड-बाजे एवं डीजे की धार्मिक धुनों के साथ निकलने वाली यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर कलई पूरा स्थित मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु संत रविदास महाराज के जयकारों के साथ

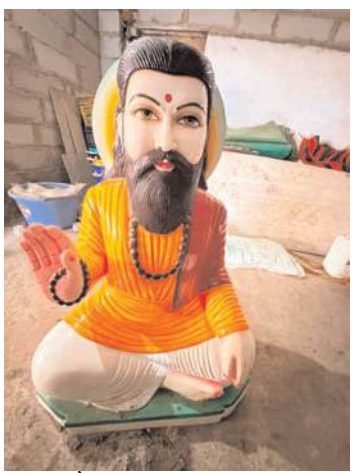

भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देंगे। मंदिर प्रांगण पहुंचने के बाद विधि-विधान एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण एवं समरसता भोज का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम, समानता और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना है। आयोजक एवं निवेदक सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों व नगर वासियों सहित सकल समाज के बंधुओं, माताओं-बहनों से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज को समानता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया है। ऐसे आयोजनों में सभी वर्गों की सहभागिता सामाजिक समरसता को और मजबूत करती है। उन्होंने सभी नागरिकों से परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कलश यात्रा की शोभा बढ़ाने तथा संत रविदास महाराज के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)